श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
बी-४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-११००१६

एफ-3(254)/एल.बी.एस./शै/2021-22/ 743 दिनांक 20.10.2021

कार्यालयीय सूचना

विषयः राष्ट्रीय शिक्षा नीति २०२० में प्रदत्त अनुशंसाओं को विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु समितियों के गठन के संबंध में।

उप सचिव, शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित पत्र संख्या एफ.न.20-3/2020-Skt.II दिनांक 8.9.2021 द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दिये गये प्रावधानों का पालन करते हुए एकल विषयक विश्वविद्यालय को बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किये जाने हेतु पारित अनुशंसाओं के पालन में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में क्रियान्वयन करने हेतु की गई कार्यवाही की रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित की जानी है। इस संबंध में दिनांक 4.10.2021 को आयोजित विद्या परिषद् की संकल्प संख्या 4.16(3) के अनुसार मंत्रालय से प्राप्त उक्त विषय से संबंधित प्रपत्र पर विचार-विमर्श करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि पत्र के साथ संलग्न विवरण के अनुसार संस्कृत विश्वविद्यालय को एकल विश्वविद्यालय से बहुविषयक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने हेतु विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं स्वरूप को ध्यान में रखते हुए चिह्नित विषयों पर यथाशीघ्र उचित कार्यवाही करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या से सम्बन्धित रिपोर्ट तैयार करने के लिए निम्नलिखित विशेष समितियों का गठन की स्वीकृति प्रदान की गई:-

क्रम संख्या	विषय	समिति के सदस्य
1	**संस्थागत पुनर्गठन और समेकन** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 10.2, 10.8, 10.12, 10.14 से संबंधित विषयों हेतु)	1. समस्त पीठप्रमुख 2. पीठ प्रमुख (शैक्षणिक) 3. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. 4. सहायक कुलसचिव (विकास)
2	**समग्र और बहु-विषयक शिक्षा की ओर** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या11.6, 11.7 से संबंधित विषयों हेतु)	1. समस्त पीठप्रमुख 2. समस्त विभागाध्यक्ष 3. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. 4. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
3	**सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों को सहयोग** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 12.2 से संबंधित	1. प्रो. भागीरथि नन्द, पीठ प्रमुख शैक्षणिक 2. प्रो. नीलम ठगेला, पीठ प्रमुख छात्र कल्याण 3. प्रो. प्रेम कुमार शर्मा, ज्योतिष विभाग 4. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.

	विषयों हेतु)	5. समस्त विभागाध्यक्ष 6. श्री जे.पी. सिंह, सहायक कुलसचिव(स.प्र.)
4	**प्रेरित, सक्रिय ओर सक्षम संकाय** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 13.2,13.3,13.4,13.5,13.6,13.7 से संबंधित विषयों हेतु)	1. प्रो. भागीरथि नन्द, पीठ प्रमुख (शैक्षणिक) 2. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. 3. प्रो. शिवशंकर मिश्र, विभागाध्यक्ष, शोध 4. प्रो. के. भरत भूषण, शिक्षाशास्त्र विभाग 5. डा. आदेश कुमार, विभागाध्यक्ष, आधुनिक ज्ञान विभाग 6. श्री रमाकान्त उपाध्याय, अधिशासी अभियन्ता 7. श्री बी.एल. वर्मा, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर 8. श्रीमती भारती त्रिपाठी, सहायक कुलसचिव (प्र-।)
5	**उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 14.4.1 से संबंधित विषयों हेतु)	1. प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा, पीठ प्रमुख, वेद-वेदांग पीठम् 2. प्रो. अमिता पाण्डेय भारद्वाज, शिक्षाशास्त्र विभाग 3. प्रो. कल्पना जैन, विभागाध्यक्ष प्राकृत भाषा 4. श्री आदित्य पंचोली, आधुनिक ज्ञान विभाग 5. श्रीमती सुषमा, सहायक कुलसचिव (लेखा)
7	**उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 19.5 से संबंधित विषयों हेतु)	1. प्रो. भागीरथि नन्द, पीठ प्रमुख (शैक्षणिक) 2. प्रो. नीलम ठगेला, पीठ प्रमुख छात्र कल्याण 3. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. 4. प्रो. रचना मोहन वर्मा, शिक्षाशास्त्र विभाग 5. श्री राजेश कुमार, सहायक कुलसचिव(विकास)
8	**भारतीय भाषाओं, कला ओर संस्कृति का सवर्धन** (राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 22.7, 22.10, 22.12, 22.15, 22.16 से संबंधित विषयों हेतु)	1. प्रो. जयकान्त सिंह शर्मा, पीठ प्रमुख, वेद-वेदांग पीठम् 2. प्रो. सविता शर्मा, पीठ प्रमुख, आधुनिक विषय 1. प्रो. आर.पी. पाठक, शिक्षाशास्त्र विभाग 2. प्रो. नीलम ठगेला, पीठ प्रमुख छात्र कल्याण 3. प्रो. बिहारी लाल शर्मा, निदेशक, आई.क्यू.ए.सी. 6. डा. प्रेम सिंह सिकरवार, शिक्षाशास्त्र विभाग 7. डा. अभिषेक तिवारी, मानविकी विभाग 8. श्री सुच्चा सिंह, सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

उपरोक्त विवरणानुसार शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित दिशा-निर्देशों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की सूची में दिए गए पैरा संख्या 10.2, 10.8, 10.12, 10.14, 11.6, 11.7, 12.2, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 14.4.1, 19.5, 22.7, 22.10, 22.12, 22.15, 22.16 जिनका विवरण उपर्युक्त दिर्शाया गया है। विश्वविद्यालय के उद्देश्यों एवं स्वरूप को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समिति द्वारा अपनी संस्तुति तथा समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रशासन विभाग में जमा करवानी होगी जिससे शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार उनका मूल्यांकन कर शिक्षा मंत्रालय को समय-समय पर रिपोर्ट प्रेषित की जा सके। उपरोक्त विवरणानुसार

संबंधित विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित समिति की बैठक आयोजित कर कृत कार्यवाही की रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रशासन-1 विभाग में जमा करवाने का कष्ट करें।

यह सूचना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से जारी की जा रही है।

संलग्नक उपरोक्त

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपि अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. समस्त पीठम् प्रमुख
2. समस्त विभागाध्यक्ष
3. संबंधित समितियों के सदस्य
4. निदेशक, आई.क्यू.ए.सी.
5. विशेष कार्याधिकारी (परीक्षा)
6. उप-कुलसचिव (परीक्षा / शैक्षणिक)
7. उप-कुलसचिव (लेखा एवं विकास)
8. अधिशासी अभियन्ता
9. सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (संगणक)
10. सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)
11. सहायक कुलसचिव (प्रशासन-1/ प्रशासन-2)
12. सहायक कुलसचिव (लेखा)
13. सहायक कुलसचिव (विकास)
14. सहायक कुलसचिव (सामान्य प्रशासन)
15. निजी सचिव कुलपति एवं कुलसचिव
16. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वे सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अंकित करें।
17. सम्बन्धित पत्रावली
18. कार्यालय आदेश पंजिका

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

10. संस्थागत पुनर्गठन और समेकन

10.2 उच्चतर शिक्षा के ढाँचे के बारे में, यह नीति सबसे बड़ी अनुशंसा बड़े एवं बहु-विषयक विश्वविद्यालयों और उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) क्लस्टरों के संबध में करती है। भारतीय प्राचीन विश्वविद्यालयों तक्षशिला, नालन्दा, वल्लभी और विक्रमशिला जिनमें भारत और अन्य देशों के हजारो छात्र जीवंत एवं बहु-विषयक परिवेश में शिखा ले रहे थे, ने बड़ी सफलता का प्रदर्शन किया जो इस तरह के बड़े एवं बहु-विषयक अनुसंधान और शिक्षण विश्वविद्यालय ही कर सकते थे। भारत को बहुमुखी प्रतिभा वाले योग्य और अभिनव व्यक्तियों को बनाने के लिए इस परम्परा को वापस लाने की आवश्यकता है, जिससे कई देश पहले से ही शैक्षिक और आर्थिक रूप से इस दिशा में परिणत हो रहे हैं।

10.8 वंचित क्षेत्रों में पूर्ण उपलब्धता, न्यायसंगतता और समावेश के लिए उचित संख्या में उच्चतर शिक्षा संस्था स्थापित और विकसित किए जायेंगे। 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) होगा। श्रेष्ठ गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षा संस्थान सार्वजनिक और निजी दोनों को विकसित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जायेंगे, जिनके निर्देश का माध्यम स्थानीय/भारतीय भाषाओं या द्विभाषिक होगा। इसका उद्देश्य सकल नामाकंन अनुपात को 2018 में 26. 3% से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना होगा। हालांकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नए संस्थानों का विकास किया जा सकता है, लेकिन क्षमता निर्माण का एक बड़ा भाग मौजूदा एचईआई को समेकित, महत्वपूर्ण रूप से विस्तारित और बेहतर बनाने के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.12 इस नीति द्वारा कल्पित नई विनियामक प्रणाली ग्रेडेड ऑटोनोमी के जरिये और इसे एक चुनौती की तरह लेते हुए समग्र रूप से इस संस्कृति को सशक्तिकरण और स्वायत्तता की ओर नवाचार के लिए बढ़ावा देगी। और 15 वर्षो के अंतराल में धीरे-धीरे संबद्ध (एफिलिएटेड) कॉलेज की प्रणाली समाप्त होगी। प्रत्येक संबद्ध विश्वविद्यालय अपने संबद्ध कॉलेज के मार्गदर्शन के लिए उत्तरदायी होगा ताकि वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें तथा अकादमिक और पाठ्यक्रम संबंधी मामलों में न्यूनतम मानदंड, शिक्षण और मूल्यांकन, गवर्नेस सुधार, वित्तीय मजबूती, और प्रशासनिक दक्षता को प्राप्त कर सकें। वर्तमान में विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी कॉलेज प्रत्यायन प्राप्त करने और स्वायत्त डिग्री देने वाले कॉलेज बनने के लिए निर्धारित बेंचमार्क एक समय-अवधि में प्राप्त करेंगे, इस उचित मेंटरिंग और सरकार के सहयोग सहित एक संयुक्त राष्ट्रीय प्रयास के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।

10.14 व्यापक तौर पर विश्वविद्यालय का अर्थ है, उच्चतर शिक्षा का एक बहु-विषयक संस्थान जो स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएच.डी. कार्यक्रम चलाता है, और उच्चतर गुणवत्ता वाले शिखण और अनुसंधान करता है। अभी देश में एचईआई का जटिल नामकरण समवत विश्वविद्यालय, संबद्ध विश्वविद्यालय, संबद्ध तकनीकी विश्वविद्यालय, एकात्मक विश्वविद्यालय है जिसे मानकों के अनुसार मानदंड को पूरा करने पर केवल 'विश्वविद्यालय' के नाम से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

11. समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की ओर

11.6 बड़े बहु–विषयक विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्चतर–गुणवत्ता की समग्र और बहु–विषयक शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। विषयों में कठोर विशेषज्ञता के अलावा, छात्रों को पाठयचर्या में लचीलापन, नए और रोचक कोर्सेस के विकल्प दिए जाएंगे। पाठ्यक्रम निर्धारित करने में संकाय और संस्थागत स्वायत्तता द्वारा इस प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षाशास्त्र में संचार, चर्चा, बहस, अनुसंधान और क्रॉस–डिसिप्लिनरी और अंत:विषयक सोच के अवसरों पर अधिक जोर होगा।

11.7 देश के विभिन्न उच्चतर शिक्षा संस्थानो (एचईआई) में भाषा, साहित्य, संगीत, दर्शन, भारत–विद्या, कला, नृत्य, नाट्यकला, शिक्षा, गणित, सांख्यिकी, सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, खेल, अनुवाद एवं व्याख्या और अन्य ऐसे विषयों के विभागों को बहु–विषयक, भारतीय शिक्षा और वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित और मजबूत किया जाएगा। इन विषयों में सभी स्नातक उपाधि कार्यट्रमों में क्रेडिट दिया जाएगा यदि वे ऐसे विभागों से या ओडीएल मोड के माध्यम से किए जाते हैं, जब उन्हें एचईआई की कक्षाओं में उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

12. सीखने के लिए सर्वोत्तम वातावरण व छात्रों को सहयोग

12.2 पहला, उच्चतर शिक्षा के व्यापक ढाँचे में रचनात्मकता को सुनिश्चित करने के लिए संस्थानों और संकायों को पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि और आकलन आदि पर नवाचार करने की स्वायत्ता देनी होगी, जो कि सभी संस्थानों, कार्यक्रमों, सभी मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल), ऑनलाइन और पारम्परिक कक्षा–कक्ष शिक्षण में समान रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। छात्रों को एक बेहतर और आकर्षक शिक्षण अनुभव देने के लिए संस्थानों और प्रेरित संकायों द्वारा इसके अनुरूप पाठ्यक्रम और शिक्षण विधा को रचा जाएगा और प्रत्येक कार्यक्रम को उसके लक्ष्यों तक पहुँचाने के लिए रचनात्मक आकलन का उपयोग किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा सभी मूल्यांकन प्रणालियां भी तय की जाएंगी, जिनमें अंतिम रूप से प्रमाणन भी शामिल है। नवाचार और लचीलापन लाने के लिए विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली (सीबीसीएस) को संशोधित किया जाएगा। उच्चतर शिक्षण संस्थान एक मानदंड–आधारित ग्रेडिंग प्रणाली कर निर्माण करेंगे, जो प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के लक्ष्यों के आधार पर छात्र की उपलब्धि का आकलन करेगा, जिससे प्रणाली निष्पक्ष बनेगी और परिणाम अधिक तुलनीय होंगें। उच्चतर शिक्षण संस्थान भी हाई–स्टेक परीक्षाओं से और अधिक सतत और व्यापक मूल्यांकन की ओर बढ़ेंगे।

13. प्रेरित, सक्रिय और सक्षम संकाय

13.2 सबसे बुनियादी कदम के रूप में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ शौचालयों, ब्लैकब्रोर्ड, कार्यालय, शिक्षण सामग्रियाँ, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और सुखद कक्षा वातावरण और परिसर जैसी आवश्यक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं से युक्त होंगे। हर कक्षा में नवीनतम शैक्षणिक प्रौगिकी तक पहुंच होनी चाहिए जो सीखने के बेहतर अनुभवों को सक्षम बनाती है।

13.3 शिक्षण का अतिरिक्त बोझ नहीं होगा, छात्र-शिक्षक अनुपात भी बहुत अधिक नहीं होगा, जिससे कि शिक्षण प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि बनी रहे, छात्रों से चर्चा करने, शोध करने, और विश्वविद्यालय से जुड़ी अन्य गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रत्येक संकाय सदस्य की नियुक्ति एकल संस्थान में की जाएगी और विभिन्न संस्थानों में इनका सामान्यत: सीानांतरण नहीं किया जाएगा जिससे कि वे अपने संस्थान और वहाँ के लोगों के प्रति सही मायनों में तत्पर, संलग्न और प्रतिबद्ध महसूस कर सकें।

13.4 संकाय सदस्यों को स्वीकृत फ्रेमवर्क के भीतर पाठ्यपुस्तकों के चयन तथा असाइनमेंट और आकलन की प्रक्रियाओं को निर्मित करने के साथ ही साथ अपने स्वयं के पाठ्यक्रम संबंधी और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को रचनात्मक रूप् से निर्मित करने की स्वतन्त्रता दी जाएगी। संकाय सदस्यों को रचनात्मक शिक्षण, शोध और उनके अपने अनुसार बेहतर कार्य के लिए प्रेरित और सशक्त किया जाना उन्हें उत्कृष्ट और रचनात्मक कार्यों को करने की ओर प्रेरित करने का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक होगा।

13.5 उत्कृष्ट कार्यों को उपयुक्त पुरस्कार, पदोन्नति, कार्यों की सराहना के साथ ही साथ संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं में उचित सीान सुनिश्चित करके बढ़ावा दिया जाएगा। इसी के साथ ही उन संकाय सदस्यों की जवाबदेही भी तय की जाएगी जो कि निर्धारित बुनियादी मानदंडों के अनुसार कार्य नही कर पा रहे।

13.6 उत्कृष्टता को बढ़ावा देने से जुड़े स्वायत्त संस्थानों के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उच्चतर शिक्षण संस्थानों में संकाय सदस्यों की भर्ती से संबंधित प्रक्रियाएँ और मानदंड स्पष्ट रूप से पारिभाषित, स्वतंत्र और पारदर्शी होंगे। वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखते हुए भी उत्कृष्टता को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यकाल-ट्रैक प्रणाली यानि कि उपयुक्त प्रोबेशन अवधि को जोड़ा जाएगा। अत्यंत प्रभावी अनुसंधानों और योगदानों को मान्यता प्रदान करने के लिए एक फास्ट-ट्रैक पदोन्नति प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी। कार्यों के उचित मूल्यांकन, कार्यकाल (यानी परिवीक्षा के बाद स्थायी नियुक्ति) निर्धारण, पदोन्नति, वेतन में वृद्धि, मान्यता आदि सहित, सहकर्मी द्वारा समीक्षा, छात्र समीक्षा, शिक्षण और शिक्षण-शास्त्र में नवाचार, शोध की गुणवत्ता और प्रभाव, व्यावसायिक विकास से जुड़ी गतिविधियां और संस्थान तथा समाज से संबन्धित कार्य के अन्य विभिन्न रूपों और उनके प्रभावों के उचित आकलन के लिए मापदण्डों को समाहित करती प्रणालियों को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा विकसित किया जाएगा और इन्हें संस्थानों की संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाएगा।

13.7 उत्कृष्टता और नवाचारों को बढ़ावा देने वाले उत्कृष्ट और उत्साही संस्थागत नेतृत्वकर्ताओं की जरूरत आज के समय की मांग है। एक संस्था और उसके संकाय सदस्यों की सफलता के लिए उच्चतर गुणवत्ता युक्त संस्थानिक नेतृत्व का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतर अकादेमिक और सेवा क्रेडेंशियल्स के साथ ही साथ नेतृत्व और प्रबंध कौशल को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न संकाय सदस्यों की समय रहेतु ही पहचान की जाएगी, और फिर उन्हे नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पदों से गुजारते हुए प्रशिक्षित किया जाएगा। संस्थानों में नेतृत्व से जुड़े पद रिक्त नहीं रहेंगे, बल्कि नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान एक निश्चित ओवरलैपिंग समयावधि का प्रावधान सभी संस्थानों में होना चाहिए, जिससे कि संस्थानों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। संस्था के नेतृत्वकर्ता ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति के निर्माण को ध्यान में रखेंगे जो कि सभी संकाय सदस्यों ओर उच्चतर शिक्षण संस्थानों के नेतृत्वकर्ताओं को उत्कृष्ट और नवोन्मेषी शिक्षण, शोध, संस्थागत और सामुदायिक कार्यों की ओर प्रेरित और प्रोत्साहित करे।

14. उच्चतर शिक्षा में समता और समावेश

14.4.1 सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम:

क. एसईडीजी की शिक्षा के लिए समुचित सरकारी निधि का निर्धारण,

ख. उच्चतर जीईआर तथा एसईडीजी के लिए स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण,

ग. उच्चतर शिक्षण संस्थानों की प्रवेश प्रक्रिया में जेंडर-संतुलन को बढ़ावा देना,

घ. विकास की ओर उन्मुख जिलों में उच्चतर गुणवत्तायुक्त उच्चतर शिक्षण संस्थान बनाकर और बड़ी संख्या में एसईडीजी लिए हुए विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाकर पहुँच को सुधारना

ड. उच्चतर गुणवत्ता युक्त ऐसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण और विकास करना जो स्थानीय / भारतीय भाषाओं में या द्विभाषी रूप से शिक्षण कराएं,

च. सार्वजनिक और निजी दोनो ही तरह के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में एसईडीजी को अधिक वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति प्रदान करना,

छ. एसईडीजी के बीच उच्चतर शिक्षा के अवसरों और छात्रवृत्ति से जुड़ी जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार करना,

ज. बेहतर भागीदारी और सीखने के परिणामों के लिए प्रौद्योगिकी का निर्माण और विकास।

19. उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए प्रभावी प्रशासन और नेतृत्व

19.5 चरणबद्ध तरीके से पर्याप्त धन, वैधानिक सशक्तिकरण और स्वायत्तता प्रदान किए जाने के साथ, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थान, संस्थागत उत्कृष्टता, अपने स्थानीय समुदायों के साथ जुड़ाव और वित्तीय इमानदारी और जवाबदेही के उच्चतममानकों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करेंगे। प्रत्येक संस्थान एक कार्यनीतिक संस्थागत विकास योजना बनाएगा जिसके आधार पर संस्थान अपनी पहलों को विकसित करेंगे, अपनी प्रगति

का आकलन करेंगे और उसमें निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचेंगे, जो आगे की सार्वजनिक निधियन के लिए आधार बन सकते हैं। आईडीपी, बोर्ड के सदस्यों, संस्थागत लीडरों, संकाय, छात्रों और कर्मचारियों की संयुक्त भागीदारी के साथ तैयार किया जाएगा।

22. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धन

22.7 इसके अतिरिक्त, कई उपाय करने के पश्चात् भी देश में भाषा सिखाने वाले कुशल शिक्षकों की अत्यधिक कमी रही है। भाषा शिक्षण में भी सुधार किया जाना चाहिए ताकि वह अधिक अनुभव-आधारित बने और उस भाषा में बातचीत और अन्तः क्रिया करने की क्षमता पर केन्द्रित हो न कि केवल भाषा के साहित्य, शब्दभंडार और व्याकरण पर। भाषाओं को अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग में लिया जाना चाहिए।

22.10 अधिक उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा और / या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाया जाएगा ताकि पहुँच और सकल नामांकन अनुपात दोनो में बढ़ोत्तरी हो सके, इसके साथ ही सभी भारतीय भाषाओं की मजबूती, उपयोग एवं जीवन्तता को प्रोत्साहन मिल सके, मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने और/या कार्यक्रमों को द्विभाषित रूप में चलाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा एवं बढ़ावा दिया जाएगा। चार वर्षीय बीएड दोहरी डिग्री कार्यक्रम को दो भाषाओं में चलाने से भी मदद मिलेगी, जैसे कि देश भर के विद्यालयों में विज्ञान को दो भाषाओं में पढ़ाने वाले विज्ञान और गणित शिक्षकों के कैडर के प्रशिक्षण में।

22.12 यह नीति इस बात को स्वीकारती है कि शिक्षार्थियों को भारत की समृद्ध विविधता का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसका अर्थ छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल करना होगा जिससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों की विविधता, संस्कृति, परंपराओं और ज्ञान की समझ और सराहना होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत इस दिशा में देश के 100 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी, जहाँ शिक्षण संस्थान छात्रों को इन क्षेत्रों के बारे में ज्ञानवर्धन करने के लिए स्थलों और उनके इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपराओं, स्वदेशी साहित्य और ज्ञान आदि का अध्ययन करने के लिए भेजेंगें

22.15 संस्कृत भाषा के वृहद् एवं महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं एवं विषयों के साहित्य, सांस्कृतिक महत्व, वैज्ञानिक प्रकृति के चलते संस्कृत को केवल संस्कृत पाठशालाओं एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रखते हुए इसे मुख्य धारा में लाया जाएगा-स्कूलों में त्रि-भाषा फार्मूला के तहत एक विकल्प के रूप में, साथ ही साथ उच्चतर शिक्षा में भी। इसे पृथक रूप से नही पढाया जाएगा बल्कि रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोलशास्त्र, दर्शनशास्त्र, नाटक विधा, योग आदि से जोड़ा जाएगा। अतः इस नीति के बाकी हिस्से से संगतता रखते हुए, संस्कृत

विश्वविद्यालय भी उच्चतर शिक्षा के बड़े बहुविषयी संस्थान बनने की दिशा में अग्रसर होंगे, वे संस्कृत विभाग जो संस्कृत एवं संस्कृत ज्ञान व्यवस्था के शिक्षण एवं उत्कृष्ट अंतरविषयी अनुसंधान का संचालन करते है उन्हे सम्पूर्ण नवीन बहु-विषयी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के भीतर स्थापित / मजबूत किया जाएगा। यदि छात्र चाहे तो संस्कृत उच्चतर शिक्षा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाएगा। शिक्षा एवं संस्कृत विषयों में चार वर्षीय बहु-विषयक बी.एड. डिग्री के द्वारा मिशन मोड में पूरे देश के संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जायेगी।

22.16 भारत इसी तरह सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करेगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास करेगा, जिन पर अभी तक ध्यान नही गया है। इसी प्रकार से सभी संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों, जिनमें शास्त्रीय भाषाओं एवं साहित्य पढाया जा रहा है, उनका विस्तार किया जाएगा। अभी तक उपेक्षित रहे लाखों अभिलेखों के संग्रह, संरक्षण, अनुवाद एवं अध्ययन के दृढ़ प्रयास किये जायेंगे। देश भर के संस्कृत एवं सभी भारतीय भाषाओं के संस्थानों एवं विभागों को उल्लेखनीय रूप से मजबूत किया जाएगा, छात्रों के नए बैच को बड़ी संख्या में अभिलेखों एवं अन्य विषयों के साथ उनके अंतर्संबंधों के अध्ययन का समुचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। शास्त्रीय भाषा के संस्थान अपनी स्वायत्तता को बरकरार रखते हुए विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध होने या उनमें विलय का प्रयास करेंगे ताकि एक सुदृढ़ एवं गहन बहुविषयी कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर संकाय काम कर सके एवं छात्र प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। समान उद्देश्य प्राप्त करने के लिए भाषाओं को समर्पित विश्वविद्यालय भी बहुविषयी बनेंगे जहाँ प्रासंगिक होगा वे शिक्षा एवं उस भाषा में बी.एड. दोहरी डिग्री प्रदान करेगी ताकि उस भाषा के उत्कृष्ट भाषा शिक्षक तैयार हो सकें। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के परिसर में एक पाली, फारसी, एवं प्राकृत भाषा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाएगा। जिन संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में भारतीय कला, कला इतिहास एवं भारत विद्या का अध्ययन किया जा रहा है वहाँ भी इसी प्रकार के कदम उठाये जायेंगे। इन सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट अनुसंधानों को एनआरएफ द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा।

F.No.20-3/2020-Skt.II
Government of India
Ministry of Education
Department of Higher Education
(Language Division)

Shastri Bhavan, New Delhi,
Dated the 8th September, 2021.

To,

1. The Vice Chancellor,
National Sanskrit University,
Near, LIC Road, Balaji Colony,
Tirupati,
Andhra Pradesh 517507.

2. The Vice Chancellor(I/C)
Central Sanskrit University,
56-57, Institutional Area,
Janakpuri,
Delhi-110058.

3. The Vice Chancellor(I/C),
Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University,
B-4, Qutub Institutional Area,
Shaheed Jeet Singh Marg,
Katwaria Sarai,
New Delhi, Delhi 110016.

Subject: Recommendations in the National Educational Policy, 2020 – Implementation regarding.

Sir(s),

I am directed to refer to the subject mentioned above and to say that a large number of activities have been mentioned in various chapters of the National Education Policy, 2020 which relates to various subject including promotion of Indian languages with the aim to enhance the quality of education and knowledge amongst students at all levels. The recommendations also highlight the need for transforming the Higher Educational Institutions into multi-disciplinary institutions, upgrade the infrasturcutre of the institution bringing in the latest technology in teaching, empowering the faculty to conduct innovative teaching, incentivizing the excellence of the faculty, introduce the mode of eduction in the mother tongue, develop management skills and invoke leadership qualities etc.

Accordingly, a statement of such recommendations/activities alongwith the chapter/para no. from the NEP 2020 has been prepared and attached herewith. Further, the course of action to be taken for the implementation of the recommendations is also mentioned therein for the perusal of the Institutions and their compliance for implementing them. It is further, clarified that the emphasis for the implementation of the recommendations made under NEP 2020 is to enlarge the vision and knowledge of the students thereby inducing confidence in them by learning more subjects and contribute towards the growth of the nation.

It is further stated that certain recommendation in the NEP 2020 needs to be get implemented in consultation with UGC, NCTE, Ministry of Culture etc. which are outside agencies. Accordingly, it is suggested that the institutions may explore the feasibility of implementing these recommendations by either through expansion or by collaborating with similarly placed institutions or other institutions functioning in different fields so that the students will have an advantage of learning one or more subjects or arts or skill development etc. and enrich their knowledge.

In view of the above, the institutions are hereby requested to chalk out their course of action on each of the activities clearly by forming a Committee and monitor the implementation of the activies in a time bound manner. It is also requested to furnish the status of each of the activities in a periodical manner to this Ministry to enable this bureau to apprise the same to the concerned authorities in the Ministry.

Yours faithfully,

Adixit

(Suman Dixit)
Deputy Secretary to the Government of India
Tele.No.23070446

Encl: As above.